राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198. कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांक : एफ 20 (11) ( ) बा.अ.वि./कि.न्या.अ./कि.न्या.बो./बा.क.स./का.ग्र./15/8839 जयपुर दिनांक: 20/5/16

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 एवं 27 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के मनोनयन हेतु विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र वेबसाट पर अपलोड करवाने बाबत्।
प्रसंगः– विभागीय जारी विज्ञप्ति पत्रांक 7202 एवं 7113 दिनांक 13.05.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन हैं कि निदेशालय बाल अधिकारिता के **पत्रांक 7202 एवं 7113 दिनांक 13.05.2016** के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 एवं 27 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के मनोनयन हेतु वर्णित अर्हताऐं रखने वाले गैर राजकीय सामाजिक कार्यकर्त्ताओं विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें बाल अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट का लिंक अंकित किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट पर किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति में सामाजिक कार्यकत्ताओं के मनोनयन हेतु विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र अपलोड़ कराने की कृपा करावें।

(सीना शर्मा)
उपनिदेशक, सारा
प्रभारी (प्र.)

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20 / 198. कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर

बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष / सदस्य के मनोनयन हेतु नवीन आवेदन प्रारूप

1.	आवेदक का नाम		आवेदक की नवीन फोटो
2.	पिता / पति का नाम		
3.	जन्म तिथि (आवेदन के समय आवेदक की आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए)		
4.	शैक्षणिक योग्यता		
5.	व्यवसायिक योग्यता		
6.	अन्य योग्यता		
7.	वर्तमान व्यवसाय		
8.	ऑफिस का पूर्ण पता		
9.	निवास का पूर्ण पता		
10.	ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल. नम्बर		
11.	विज्ञप्ति में अंकित बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित अर्हताओं में कौन–सी अर्हता रखते है, का विवरण देवें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		
12.	आवेदन तिथि को आवेदक द्वारा धारित अर्हता में अनुभाव की अवधि देवें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		
13.	आवेदक को उल्लेखनीय कार्य के लिए प्राप्त सम्मान पदक, प्रमाण पत्र आदि यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण		

	देवें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)	
14.	क्या आवेदक न्यायालय द्वारा विगत में दोष सिद्व हो चुका है, यदि हॉ तो पूर्ण विवरण देवें।	
15.	क्या आवेदक के विरूद्व वर्तमान में कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है या पुलिस के पास दर्ज है, यदि हॉ तो पूर्ण विवरण देवें।	
16.	क्या आवेदक किसी अनैतिक कार्य या बाल उत्पीडन के कार्य अथवा बाल श्रमिक के नियोजन में अंतर्वलिप है/रहा है, यदि हॉ तो उल्लेखित करें।	
17.	क्या आवेदक इस समिति के कार्य के लिए आवश्यक/पूर्ण समय व ध्यान देने के लिए तैयार है।	
18.	क्या आवेदक पूर्व में बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष/सदस्य रहा/रही हैं तो उक्त पद पर रहने की अवधि का उल्लेख करें। (पुष्टि हेतु 10/–रूपये का शपथ पत्र नोटेरी से सत्यापन करवाकर संलग्न करें।)	
19.	क्या आवेदक वर्तमान मे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत् संचालित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी का संचालन कर रहे है, तो उल्लेख करें।	
20.	अन्य (जो आवेदक उल्लेखित करना चाहता हैं)	

नोटः भरे हुए मूल आवेदन पत्र की दो फोटो प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।

संलग्न ....

आवेदक के हस्ताक्षर